न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—02/2017 (2017/00076) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—चम्पालाल पिता प्रताप जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नानुराम पिता प्रताप जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—उदेराम पिता कजोड़ जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नाराण पिता कजोड़ जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—नंगजीराम पिता कजोड़ जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मगनी बेवा कजोड़ जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित

1. मुकेश चौधरी — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. महेन्द्र सिंह — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 03.03.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर में स्थित साबिक राजस्व खाता संख्या 53 में वर्णित आराजियात में से साबिक आराजी संख्या 1745/3ख रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1746/2ख रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी संख्या 1745/4 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1745/3ख रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि के रिकार्ड शुदा खातेदार कजोड पिता भूरा जी जाट निवासी नयाखेड़ा से दिनांक 07/08/1996 को विक्रय राशि 45000/—रूपये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया प्रमाण नकल जमाबन्दी सम्बत 2052 से 2055 साथ सलग्न है। प्रार्थना पत्र की कलम सख्या एक में वर्णित साबिक आराजीयात को कय करने पश्चात् नामान्तरण हेतु पटवार हल्का झड़ौल को विक्रय पत्र की प्रति देकर दिनांक 21/11/1996 को पटवार हल्का द्वारा नामान्तरण करण भर कर दिनांक 13/02/1997 को ग्राम पंचायत झडोल से स्वीकृत किया जाकर खाता संख्या 53 पर अमल किया गया। राजस्व ग्राम झडोल का सेटलमेन्ट हुआ और सेटलमेन्ट के दौरान साबिक आराजी संख्या 1745/[illegible] 2 [illegible] बिस्वा आराजी संख्या 1746/2ख रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी संख्या 1745/4 [illegible]बा [illegible] बीघा 12, आराजी संख्या 1745/3ख रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल [illegible] 4 कुल [illegible] 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि के नवीन आराजी संख्या 2782 रकबा 1.44 है0 [illegible] रकबा 0.27 है0, [illegible]जी संख्या 2800 रकबा 1.61 है0 भूमि कायम कि [illegible] के नाम 1.71 है0 [illegible] खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकार्ड होनी चाहिये थी। वक्त बिकासे से हम प्रार्थीगण अपने निहित कय शुदा हिस्से की भूमि पर काश्त कर काश्त का लाभ आज दिन तक लेते आ रहै तथा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:27 IST
Reason: SelfAttested

24/06/2016 को अपने खाते पर फसली लोन लेने के लिये पटवार हल्का झडोल से सम्पर्क किया तो पटवार हल्का द्वारा उक्त नवीन आराजीयात में हम प्रार्थीगण का खातेदार अधिकार से दर्ज रिकार्ड नाम नही मिला जिससे हम प्रार्थीगण ने तहसील कार्यालय रायपुर से उक्त विवादित आराजीयात की नकल प्राप्त की तो सेटलमेन्ट वालो ने मनमकसुद तरीके से प्रार्थीगण की खातदेारी आराजियात जिसके नवीन आराजी संख्या 2782, 2783, 2800 से प्रार्थीगण का नाम हटाकर पुनः कजोड़जी के वारीसान के नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया जिससे नवीन आराजियात में प्रार्थीगण को 1.71 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार बनाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नवीन आराजी संख्या 2800 रकबा 1.61 है0, आराजी संख्या 2782 रकबा 1.44 है0 भूमि कायम की गई जिसमें से प्रार्थीगण के नाम 1.71 है0 भूमि खातेदारी अधिकार से दर्ज किये जाने का आदेश श्रीमान् तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 18.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी कमांक 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है एवं विपक्षी संख्या 5, 6 फौरमल पक्षकार है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने जवाब में अकंन किया कि वादवर्णित आराजियात विपक्षीगण के पिता व पति के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित साबिक आराजियात का गलत तरीके से नामान्तरणकरण खेला गया है। प्रार्थीगण ने सेटलमेन्ट के दोरान कोन कोन से हाल नम्बर के साबिक थे कही नही बताया जबकि हाल नम्बर 2782 रकबा 1.44 हेक्टेयर के साबिक नं. 1744/3क रकबा दो बीघा 5 बिस्वा, 1745/2 रकबा 12 बिस्वा, 1742/3क रकबा दो बीघा 10 बिस्वा, 1745/3 रकबा एक बीघा 19 बिस्वा व हाल नं. 2800 के साबिक नम्बर 1746/1 रकबा चार बीघा 19 बिस्वा है जो हमारे पूर्वजो के व उनके बाद विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। हमारे पूर्वजो ने साबिक नम्बर 1746/1 रकबा चार बीघा 19 बिस्वा मे से व साबिक नं. 1742/2 रकबा 12 बिस्वा मे से कोई हिस्सा कभी भी विक्रय नही किया गया न ही उक्त नम्बरो का इन्तकाल भरा गया एवं आराजी सं. 1745/3 रकबा एक बीधा 19 बिस्वा नम्बरो मे कोई बिकाव ही किया है न ही कोई इन्तहाल इन नम्बरो का भरा जाकर स्वीकृत हुआ है। हाल नम्बर 2783 के साबिक नम्बर 1745/4 रकबा एक बीघा 12 बिस्वा व 1745/1 मीन रकबा एक बीघा 5 बिस्वा का बना है, इसमे से आराजी सं. 1745/4 रकबा एक बीघा 12 बिस्वा का इन्तकाल भरा है जबकि उक्त हाल नम्बर 2783 वर्तमान में खातेदार डालु आत्मज किशना जी बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 2782 व 2800 कुल किता 2 कुल रकबा 3.05 हेक्टेयर की हाल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 व खातेदार डालु की हाल आराजी संख्या 2783 रकबा 0.27 हेक्टेयर की हाल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 [illegible] क्षेत्रफल एवं साबिक जमाबंदी खातेदार कजोड़ पिता भुरा जाट के नाम की संवत [illegible] जिसमे इन्तकाल न. 1725 दिनाक 13.2.95 मे आराजियात का [illegible] है। [illegible] आराजी संख्या 2783 मे से हिस्सा प्रार्थीगण ने मांग की जिसके खातेदार [illegible] पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाया गया है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:27 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम झड़ौल पटवार मण्डल झड़ौल में आराजी संख्या 2782 रकबा 1.44 है0 आराजी

संख्या 2800 रकबा 1.61 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.05 है0 भूमियां खातेदारान उदेराम, नाराण नंगजीराम पिता कजोड़ मगंनी बेवा कजोड़ जाट सा. नयाखेड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी संख्या 2782 रकबा 1.44 है0 एवं आराजी संख्या 2800 वर्तमान में पड़त है। संलग्न राजस्व नक्शे में हरी स्याही से अकिंत भू–भाग पर अन्य पड़ौसी खातेदारान का कब्जा है। आराजी संख्या 2782 रकबा 1.44 है0 में से करीब 0.35 है0 पर एवं आराजी संख्या 2800 रकबा 1.61 है0 मे से 0.44 है0 पर पड़ौसी खातेदारान का कब्जा है। प्रार्थीगणो के बताये अनुसार संलग्न राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 2782 रकबा 1.44 है0 मे से 0.62 है0 पर ऑरेन्ज स्याही से आच्छादित भू भाग पर प्रतिवादीगणो का कब्जा है। इसी प्रकार आराजी संख्या 2782 पर करीब 0.47 है0 पर पीली स्याही से आच्छादित भू–भाग पर प्रार्थीगणो का कब्जा होना बताया। इसी प्रकार आराजी संख्या 2800 पर करीब 1.17 है0 पर पीली स्याही से आच्छादित भू–भाग पर प्रार्थीगणो ने अपना कब्जा होना बताया जबकि मौके की स्थिति अनुसार उक्त नम्बरो पर ऑरेन्ज स्याही व पाली स्याही से आच्छादित भू–भाग पर किसी प्रकार का कब्जा प्रतीत नही होता है। कई वर्षो से उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1996 को विपक्षीगणो के पिताजी कजोड़ पिता भुरा जाट निवासी नयाखेड़ा ने प्रार्थीगणो को अपनी भूमियां साबिक आराजी संख्या 1745/3ख रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1746/2ख रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी संख्या 1745/4 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1745/3ख रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि विक्रय कर दी जिसका नामान्तरणकरण संख्या 1725 दिनांक 13.02. 1997 द्वारा तत्समय जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 में खाता संख्या 53 पर अमल किया गया। प्रमाण में नामान्तरणकरण की फोटो प्रतियां सलग्न है। साबिक आराजी संख्या 1745/3क व आराजी संख्या 1745/3ख, आराजी संख्या 1745/4 के वर्तमान आराजी संख्या 2782 बने है साबिक आराजी संख्या 1746/2ख के वर्तमान आराजी संख्या 2800 बने है। संवत 2056 में भू प्रबन्ध हुआ जिसमें भू प्रबन्ध कार्मिको द्वारा सेवन से उक्त विक्रय शुदा भूमियां साबिक हाल आराजी संख्या 1745/3क व आराजी संख्या 1745/3ख, आराजी संख्या 1745/4 जिसके हाल आराजी संख्या 2782 तथा साबिक आराजी संख्या 1746/2ख के हाल आराजी संख्या 2800 को पुनः विक्रेता कजोड़ पिता भुरा जाट की फौतगी के पश्चात् उक्त वर्णित भूमि कजोड़ के वारीसान उदेराम, नाराण, नगंजीराम पिता कजोड़ मगंनी बेवा कजोड़ जाट के नाम दर्ज हो गई जो अब तक उसी स्थिति में दर्ज रेकार्ड है।

प्रकरण में दोनो अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई

प्रार्थीगण अधिवकता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थन पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अन्त में एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रास्ता का खुलासा करवाया जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा [illegible] रिपोर्ट [illegible] मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगणो के पिता कजोड़ [illegible] भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की गई है और जिसका क्रेता के पक्ष में नामान्तरणकरण [illegible] दर्ज हुआ जिसका अमल जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 में दाखिला हो चुका था किन्तु भू प्रबन्ध त्रुटि से क्रेता के नाम भूमि दर्ज नही होकर पुनः विक्रेता के नाम दर्ज हो गई। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:27 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2783 के सम्बन्ध में आक्षेप किया कि उक्त आराजी बलाईयो के नाम दर्ज है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आदेश 6 नियम 17 के तहत् पेश कर हटाने का निवेदन किया जिस पर उक्त नम्बर प्रार्थना पत्र से हटाया गया एवं विपक्षी 4 मंगनी फोथ होने से उनके वारीस पहले से दर्ज होने से नाम डिलिट किया गया। वर्तमान में विपक्षीगण के नाम आराजी संख्या 1782 एवं 2800 दर्ज रेकार्ड है जिसमें 1.84 है0 भूमि विपक्षी के खाते से प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना उचित है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा आराजी संख्या 2800 एवं 2782 पर है आराजी संख्या 2800 एवं 2782 दोनो साबिक खसरा नम्बर 1745 एवं 1746 से बने है प्रार्थीगण द्वारा न विपक्षीगण द्वारा साबिक खसरा नम्बरान के तरमीम का ट्रेस किया है साथ ही विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस रास्ते के सम्बन्ध में खुलासा करने का निवेदन किया उभयपक्ष इसके लिये स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में कब्जे को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल के आराजी संख्या 2800 रकबा 1.61 है0 सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 2782 रकबा 1.44 है0 मे से (आराजी संख्या 2800 की पश्चिमी सीमा के सहारे) 0.24 है0 भूमि विपक्षीगण के बजाय प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.3.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—02/2017 (2017/00076) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—चम्पालाल पिता प्रताप जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नानुराम पिता प्रताप जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—उदेराम पिता कजोड़ जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नाराण पिता कजोड़ जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—नंगजीराम पिता कजोड़ जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मगनी बेवा कजोड़ जाट निवासी नयाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल के आराजी संख्या 2800 रकबा 1.61 है0 सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 2782 रकबा 1.44 है0 मे से (आराजी संख्या 2800 की पश्चिमी सीमा के सहारे) 0.24 है0 भूमि विपक्षीगण के बजाय प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

हुक्मनामा आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

3.3.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:27 IST
Reason: SelfAttested